Self Disclosure

Government Jamuna Prasad Verma P.G. Arts & Commerce College is situated at NH-130 (old NH-200) in Bilaspur, the Zonal Office of Southeast Central Railway and Nyayadhani of Chhattisgarh. The college may be called one of the oldest colleges of the State as it has its roots in SBR College which was established by Maha Kaushal Shikshan Samiti in 1944 and has come into its present state after facing various transmutations as it was taken over by the Government of MP in 1972 and its Science Faculty was segregated in 1986. Since then, it was known as Govt. PG Arts & Commerce College. The Govt. of Chhattisgarh renamed it as Govt. Jamuna Prasad Verma PG Arts & Commerce College in 2008 just to honour an eminent social worker of the region.

The college is presently affiliated to the Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur. The affiliation to universities has also been kept on changing. It has been an affiliated college of Nagpur University, Nagpur, (1944-45 to 1955-56), Sagar Vishwavidyalaya, Sagar (1956-1964), Pt. Ravi Shankar Shukla University, Raipur (1964-1983), Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (1984-2009), and of GGU Central University, Bilaspur (2009-2012).

Spread over 6 acres of land, the College is a Multi Faculty (Arts, Commerce, Science, and Management) Co-ed Post Graduate college comprising Govt. financed 8 PG Departments, 6 UG Departments and 4 Self-Financed Departments with 37 regular and 6 contract based faculty members supported by 22 Non-teaching Staff catering to the educational needs of more than 3000 students out of which over 85% belong to socially, economically and educationally backward classes. Significant numbers of its students are from rural and backward areas. Among the students, approximately 45 % are girls. Putting appropriate emphasis on curricular and co-curricular activities, the College is striving to promote value- based quality education for inculcating a sense of social responsibility and good citizenship amongst its student community.

Vision

The Vision of the College is to uplift the academic standards of the youths by imparting quality higher education, instilling them with the qualities of compassion, competence and confidence and thus prepare them to serve the Nation and the society they move in.

With this vision, the College intends to serve the youths of the region and the state by providing them access to higher education with quality which may enable them to be fairly competent and competitive in the fields they enter. The college strives towards intellectual, moral and cultural development of the students inculcating moral values, discipline and dedication to work into them.

Mission

As the college admits most of the students who are socially and economically and educationally disadvantaged hailing from rural as well as urban pockets and works for their competence building and enhancement of their abilities and skills, the following is the mission and consequent objectives to fulfill the Vision of the College:

- To provide the masses cost effective excess to higher education.
- To serve the student community who are educationally, socially and economically weaker in this region.
- To transform the youth into educationally, morally, culturally and spiritually good citizens with greater Employment opportunities.

- To serve the National cause of educating women, particularly those who lack educational opportunities.
- To provide academic excellence among students.
- To inculcate discipline into the students.
- To motivate the Students' participations in extracurricular activities to develop their hidden skills.
- To orient the students towards their social responsibilities through various co-curricular and extracurricular forums such as N.C.C., N.S.S., Sports, YRC, and the like.

The vision, mission and objectives of the institution are communicated to the students, teachers and other stakeholders through the college prospectus, college website, and the meetings with the Students and Parents at the time of admission and also through Alumni, Extension Service, and the Media. The display of Vision Statement and Mission Statement at the entrance helps the stakeholders identify the goals and objectives of the college. The activities planned and conducted by the Students under various banners also serve in spreading the mission and vision of the college.

Institutional Strength

- The oldest and well known College of the Region and the second oldest of the State.
- The only Multi Faculty Coeducational Government PG Institution of the city.
- Convenient location at the National Highway.
- Equitable excess to all with lowest fee structure.
- Merit based transparent admission process with strict adherence to the policies and norms of the State Government and the University.
- Highly qualified, experienced and dedicated faculty members.
- Student- oriented teaching-learning with personal care.
- A systematic approach to teaching plan according to the academic calendar of the Dept. of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and the University.
- A huge building with well-lit and ventilated classrooms and halls.
- Canteen and parking facility for students and teachers.
- A big playground for all the field games, a hall for indoor games.
- A well-equipped Gym
- Highly active NCC, NSS and Youth Red Cross Units for both the boys and the girls and well managed extracurricular activities.
- Facilities for students – Purified drinking water, wi-fi enabled Internet access in the departments, close circuit cameras, library with Browsing and N-LIST Facility
- Examination centre for University Exams and major Competitive Exams.
- Team work, dedication and harmony among staff members. Healthy, amicable and congenial academic environment in the campus

Institutional Weakness

The college could not overcome the following weaknesses:

- Inadequate and Irrational set up of Teaching & Non-teaching Staff.
- Irregular and imprudent Transfer Policy.
- Poor Socio- economic and Educational Background of the Students.
- Lack of Large Central Computer Lab and Classrooms with ICT facility.
- Lack of Auditorium, Hostel facility, Staff Quarters and Guest House in the Campus.

- Insufficient Funds provided by the State Government.
- Limitations in utilization of the Funds due to complex Store Purchase Rules.

Institutional Opportunity

The obvious opportunities before the institution are:

- Exploiting its Past Image, Eligible and Talented Learners can be attracted.
- Admitting the Rising Number of Admission Seekers can help in increasing the GER.
- Scope to enhance Research in Humanities and Social Sciences.
- Locally Available Universities and Institutes for Linkage/Collaboration
- Scope for Vocational / Job oriented /Professional Courses.
- Possibility of persuading External Agencies to initiate Participatory Curricular and Extra/ Co-Curricular Programmes.
- Opportunity to extract and utilize Funds from Community/Corporate.

Institutional Challenge

The Challenges before the Institution are:

- To increase faculty positions to accommodate the rising number of learners.
- To enhance the learning standards, in the limited time frame, of the students coming from poor educational base.
- Continuous need to acquire new and update the available resources and technology.
- To extract more funds from all the funding agencies.
- To formulate policies for providing placement opportunities to Students of traditional Courses.

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्यों ?

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का भाव लिये गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, विषय संबंधित ज्ञान के साथ कौशल विकास, मूल्यपरक तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षा की ओर उन्मुख करती है।
- इस नीति में सतत मूल्यांकन का प्रावधान है जिससे विद्यार्थियों के मानसिक उर्जा के साथ बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होगी।
- सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम होने के कारण विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव नहीं होगा।
- बहु-विषयक प्रणाली पर आधारित यह नीति विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार दूसरे संकाय के विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता देती है।
- पाठ्यचर्या में भारतीय ज्ञान पद्धति के समावेश के साथ पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
- प्राद्योगिकी के अनुकूलतम उपयोग पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधान :

- 03/04 वर्षीय बहु-सकायी स्नातक पाठ्क्रम
- समस्त पाठ्यक्रम क्रेडिट पर आधारित होने के साथ ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत होंगे।
- 03/04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विद्यार्थी अधिकतम 07 वर्षों में पूर्ण कर सकता है।
- पाठ्यक्रम अवधि में विद्यार्थी ''बहु-प्रवेश, बहु-निकास'' प्रावधान के अंतर्गत प्रथम वर्ष पूर्ण कर किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे उस संकाय के अंतर्गत 'सर्टिफिकेट' दो वर्ष पूर्ण कर छोड़ने पर 'डिप्लोमा' की उपाधि दी जायेगी एवं तृतीय वर्ष पूर्ण करने पर 'स्नातक' की उपाधि प्राप्त कर पाठ्क्रम को छोड़ सकता है।
- जिन विद्यार्थियों को विषय विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने या शोध करने की इच्छा हो वे पाठ्यक्रम को निरंतर चौथे वर्ष में जारी रख सकते हैं एवं 'आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च' की उपाधि चौथे वर्ष में प्राप्त कर सकते है।
- इस नीति के अंतर्गत बहु-विषयक शिक्षा, वैचरिक समझ एवं आलोचनात्मक सोच, नैतिक मूल्यों के साथ कौशल विकास को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है।
- सतत आंतरिक मूल्यांकन में 30: अंक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा में 70% अंको का प्रावधान रखा गया है। विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु इन दोनो को मिलाकर (आंतरिक एवं सेमेस्टर परीक्षा) कुल 40 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- जेनेरिक एलेक्टिव के अंतर्गत कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय का विद्यार्थी अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय के किसी एक विषय को अपनी इच्छानुसार ले सकता है।
- विद्यार्थी शिक्षा के ऑनलाईन प्लेटफार्म यथा SWAYAM / MOOC में उपलब्ध पाठ्यक्रमों से भी विषय से संबंधित पाठ्क्रम की पढ़ाई कर सकता है।
- स्वाध्यायी छात्रों का समयबद्ध नामंकन और सतत मूल्यांकन द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

पूर्व की शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अंतर :

शिक्षा नीति 1986	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
03 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम	03/04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम
वार्षिक प्रणाली	सेमेस्टर प्रणाली
क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम नहीं था	क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम एवं अन्य संकाय के विषय चुनने की स्वतंत्रता
आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं थी	आंतरिक मूल्यांकन में 30% एवं अंत सेमेस्टर में 70% अंको का प्रावधान
आनर्स पाठ्यक्रम नहीं था	आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च पाठ्यक्रम चौथे वर्ष के विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध होगा।
इंटर्नशिप एवं एंट्रेप्रेन्यूरशिप की व्यवस्था नहीं थी	इंटर्नशिप एवं एंट्रेप्रेन्यूरशिप को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
स्नातक पाठ्यक्रम के मध्य में पढ़ाई छोड़ने पर कोई भी उपाधि नहीं मिलती थी	प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष के पश्चात पढ़ाई छोड़ने पर क्रमशः सर्टिफिकेट /डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभ :

- विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास ।
- मूल्य परक, कौशल विकास, क्षमता संवर्धन के साथ जेनेरिक इलेक्टिव विषय के अध्ययन से स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि।
- विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, डिजिटल साक्षरता के साथ रोजगार क्षमता एवं शारीरिक विकास को बढ़ाव देते हुये भविष्य की चुनौतियों के लिये तैयार करता है।
- पूरे प्रदेश में समरूप शिक्षा होने से वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ना।

(1) हमारा महाविद्यालय : संक्षिप्त परिचय

शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम् महाविद्यालयों में से एक है । सन् 1944 में महाकौशल शिक्षण समिति द्वारा एस.बी.आर. महाविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई । यशस्वी दानदाता श्री शिव भगवान रामेश्वर लाल बजाज जी द्वारा महाविद्यालय हेतु भूमि दान दी गई थी । इसके संस्थापक प्राचार्य मूर्धन्य साहित्यकार श्री बलदेव प्रसाद जी मिश्र थे । सन् 1972 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा इसे अधिग्रहित किया गया और 1985 में विज्ञान संकाय को पृथक कर इसे शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया । वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ शासन ने इसका नामकरण शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय किया है । महाविद्यालय में प्रारंभ से ही कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में स्नातक स्तर पर एवं हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित हो रहीं हैं ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल इस क्षेत्र में शैक्षणिक मूल्यों की स्थापना और समाज के पिछड़े वर्गों तक ज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु महाविद्यालय निरंतर सक्रिय रहा है । विगत् 78 वर्षों से भी अधिक समय से यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और समाज के अनेक प्रतिष्ठित व उच्च पदस्थ विद्यार्थियों के अध्ययन का केन्द्र रहा है । संकायों का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम तथा रोजगारोन्मुखी मार्गदर्शन यहाँ के वैशिष्ट्य हैं । नैक द्वारा (NAAC) महाविद्यालय को 'B' ग्रेड प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने लम्बे कीर्तिमान के साथ महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अमूल्य सहयोग से अपने संसाधनों का सही दिशा में अधिकतम् विस्तार कर रहा है । आधुनिक तकनीक एवं विधाओं के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन, व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा, व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, परिसर साक्षात्कार, शिक्षक-अभिभावक योजना, व्यावसायिक परीक्षा प्रकोष्ठ आदि महाविद्यालय की प्रत्यक्ष उपलब्धियाँ हैं ।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) एवं रेडक्रास की सशक्त इकाईयाँ कार्यरत हैं । महाविद्यालय का क्रीड़ा-विभाग अनेक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आए विश्वव्यापी बदलाव के मद्देनजर पारम्परिक उच्च शिक्षा के साथ-साथ ज्ञान और कौशल का समावेश करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का व्यापक दृष्टिकोण महाविद्यालय ने अपनाया है । आने वाले दशकों में जिन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएँ हैं और रोजगारोन्मुखता के दृष्टिकोण से संभावित विषयों का चयन किया गया है । जैसे - माइक्रोबायोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए.) । महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने लिए स्वयं का रोजगार भी निर्मित कर सके ऐसी व्यवस्था पाठ्यक्रम के अंश रूप में अथवा पाठ्येत्तर गतिविधियों के रूप में स्थापित की गई है । महाविद्यालय का प्रयास रहता है कि छात्र-छात्राओं में कौशल का विकास हो सके ताकि पारम्परिक उपाधि ग्रहण करने के साथ वे जीवनोपयोगी दक्षताओं में भी सक्षम हो सकें और उनमें उद्यमिता विकासित हो सके । इसका भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ।

महाविद्यालय में प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी का विकास अध्ययन-अध्यापन तक ही सीमित नहीं है अपितु महाविद्यालय के प्राचार्य से लेकर प्रत्येक कर्मचारी तक विद्यार्थियों के समुचित व्यक्तित्व विकास हेतु नैतिक मूल्य बोध, कैरियर निर्माण, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय संचेतना का विकास, स्वरोजगार तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आदि अन्यान्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तत्पर रहते हैं । महाविद्यालय के अनेक भूतपूर्व छात्र-छात्राएं समाज के प्रतिष्ठित पदों पर स्थापित हैं और देश-विदेश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहें हैं ।

हम, छात्रों, अभिभावकों और समस्त अकादमिक जगत से सम्बल और सुझाव के आकांक्षी हैं ।

--00--

पुस्तकालय

- सर्वसुविधायुक्त पुस्तकालय हमारे महाविद्यालय को गौरवान्वित करता है ।
- पुस्तकालय कार्य समय प्रतिदिन सुबह 10.30 से 4.30 बजे तक (रविवार एवं शासकीय अवकाश छोड़कर)
- उपलब्ध अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, जर्नल्स, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र एवं N-LIST सदस्यता ।
- छात्र/छात्राओं को प्रदायिक पुस्तक 14 दिन के लिए दी जाती है । स्नातक स्तर छात्र/छात्रा को एक बार में एक पुस्तक और स्नातकोत्तर स्तर की छात्र/छात्रा को एक बार में दो पुस्तकों की पात्रता है ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को बुक बैंक की पुस्तकें पूरे सत्र के लिए एवं निःशुल्क स्टेशनरी प्रदान की जाती है ।
- प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं ।
- शोध छात्र/छात्राएँ पुस्तकालय में बैठकर पुस्तकें पढ़ सकते हैं । उन्हें पुस्तकें निर्गमित करवाने हेतु रू. 1000/- कॉशन मनी जमा करना अनिवार्य है ।
- वाचनालय कक्ष में पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं, फोटोकापी सुविधा भी उपलब्ध है ।
- N-LIST के माध्यम से ई-संसाधन : शोध एवं सन्दर्भ ग्रंथ एवं पुस्तकें भी उपलब्ध हैं।
- पिछले पांच वर्षों के प्रश्न-पत्र भी ग्रंथालय में उपलब्ध हैं।
- वाचनालय में 150 छात्र-छात्राओं की बैठक क्षमता है।

शोध सम्बंधित जानकारी -

- महाविद्यालय में समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं अंग्रेजी विभाग का DRC का केन्द्र है ।
- अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा मान्य पी-एच.डी. शोधकेन्द्र के विषयों की सूची - समाजशास्त्र, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास एवं वाणिज्य

खेल

- महाविद्यालय परिसर में सुसज्जित क्रीड़ा प्रॉगण है।
- खेल एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए स्वतंत्र प्रशासनिक कक्ष ।
- विशाल सभागार सह टी.टी. खेल हॉल एवं जिमनेजियम ।
- खेल मैदान में उपलब्ध : खो-खो, कबड्डी, बालीबॉल, हॉकी, सह 200 मीटर दौड़ एवं मिनी स्टेडियम ।
- हॉकी में महाविद्यालय का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।
- क्रिकेट हेतु स्वचलित बॉलिंग मशीन की उपलब्धता है।

भवन सम्बंधित जानकारी -

अध्ययन कक्षों की संख्या	-	30		प्रयोगशाला की संख्या	-	08
कान्फ्रेंस हाल की उपलब्धता	-	02		गर्ल्स कामन रूम	-	01
कैंटीन	-	01				
पेयजल की उपलब्धता	-	04 आर.ओ. फिल्टरयुक्त वाटर कूलर				

- महाविद्यालय भवन में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है ।

(2) महाविद्यालयीन समितियाँ

- विश्वविद्यालय अनुदान समिति
- क्रय समिति
- ग्रंथालय समिति
- छात्र-सहायता समिति (हेल्प डेस्क)
- प्रवेश समिति
- जनभागीदारी समिति
- स्टॉफ कौंसिल
- आन्तरिक लेखा-परीक्षण समिति
- आन्तरिक मूल्यांकन समिति
- सम्मिलित निधि समिति
- महिला अधिकार संरक्षण एवं समस्या निवारण समिति
- रेडक्रास एवं स्वास्थ्य परीक्षण समिति
- प्लानिंग बोर्ड
- वेतन निर्धारण समिति
- भविष्य निधि समिति
- बी.पी.एल., बुक बैंक एवं छात्रवृत्ति योजना समिति
- स्ववित्तीय पाठ्यक्रम समिति
- शिक्षक-अभिभावक समन्वय समिति
- भूतपूर्व छात्र समिति
- महाविद्यालीयन/विश्वविद्यालयीन परीक्षा समिति
- स्वीप समिति
- नैक समिति
- विधि एवं न्यायालयीन प्रकरण समिति
- रोजगार प्रकोष्ठ
- अपलेखन समिति
- छात्र-संघ समिति
- समय-सारिणी समिति
- प्रतियोगी परीक्षा प्रकोष्ठ
- परिसर सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता समिति
- अनुशासन एवं एंटी रैगिंग समिति
- छात्रवृत्ति समिति
- सांस्कृतिक गतिविधि समिति
- साहित्यिक गतिविधि समिति
- प्रचार-प्रसार समिति
- प्रकाशन प्रकोष्ठ
- विद्यार्थी सुविधा केन्द्र
- विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति
- कैंटिन समिति
- अकादमिक अंकेक्षण समिति
- महिला प्रताड़ना निवारण समिति
- फीडबैक समिति
- सायकल स्टैंड समिति
- मुख्यमंत्री कौशल विकास समिति
- अकादमिक एवं रिसर्च समिति
- तृतीय लिंग समिति
- जल शक्ति समिति

(3) संस्था की विवरणिका

महाविद्यालय का लक्ष्य छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा एवं उनके बौद्धिक, शैक्षिक, नैतिक दृष्टि से प्रतिवर्ष प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो भावी राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सके ।

1985 इस महाविद्यालय से विज्ञान संकाय को पृथक किया गया एवं म.प्र. शासन उच्च-शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 1 जुलाई 1986 से यह महाविद्यालय शासकीय स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर स्थापित हुआ है । इस महाविद्यालय का परिसर रायपुर रोड पर जरहाभाठा में स्थित है । वर्तमान में यह महाविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त है । 1991 से विज्ञान संकाय पुनः प्रारंभ हुआ। वर्तमान में स्नातक स्तर पर विज्ञान में पढ़ाई की व्यवस्था है ।

(क) प्रवेश के मार्गदर्शक नियम -

1. महाविद्यालय में प्रवेश की अधिकतम संख्या स्थानादि सुविधा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है ।
2. प्रवेश ऑनलाईन गुणानुक्रम के अनुसार दिया जावेगा । अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छ.ग. शासन के नियमानुसार स्थान आरक्षित होंगें ।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक सुविधाएँ मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है ।
4. महाविद्यालय में प्रवेश एक विशेषाधिकार है, जिसे निष्ठापूर्ण कार्यों एवं सदाचार द्वारा अर्जित किया जाना चाहिये ।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी खुले द्वार की नीति समाप्त कर दी गई है । प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर पद्धति लागू की गई है जो वर्तमान में संचालित है ।

(ख) प्रवेश सीमा (स्नातक स्तर) :

बी.ए.भाग -1	525	बी.एस.सी. (गणित)	70
बी.ए.भाग -2	500	बी.एस.सी. (बायो)	110
बी.ए.भाग -3	500	बी.एस-सी. कम्प्यूटर	70
बी.कॉम. भाग-1	220	बी.एस-सी. माइक्रोबायोलॉजी	70
बी.कॉम. भाग-2	200		
बी.कॉम. भाग-3	200		
बी.बी.ए. भाग - 1	70		
बी.बी.ए. भाग - 2	60		
बी.बी.ए. भाग - 3	60		

(ग) रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम (स्ववित्तीय योजना) :

इस महाविद्यालय में निम्नांकित रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम स्ववित्तीय योजनांतर्गत किये जायेंगें-

(अ)	1. बी.बी.ए. भाग-1	70 सीट	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
	2. बी.बी.ए. भाग-2	60 सीट	
	3. बी.बी.ए. भाग-3	60 सीट	
(ब)	पी.जी.डी.सी.ए.	100 सीट	
(स)	डी.सी.ए.	50 सीट	
(द)	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	20 सीट	
	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	20 सीट	

(घ) स्नातकोत्तर स्तर - सेमेस्टर पद्धति (चार सेमेस्टर)

अंग्रेजी साहित्य	60 सीट
हिन्दी साहित्य	70 सीट
राजनीति शास्त्र	70 सीट
अर्थशास्त्र	70 सीट
समाजशास्त्र	70 सीट
इतिहास	70 सीट
भूगोल	60 सीट
एम.कॉम.	110 सीट

(4) महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय -

बी.ए- भाग - 1 (सेमेस्टर एक एवं दो) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानुसार

बी.ए- भाग - 2

बी.ए. भाग-2 में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. भाग-1 में लिये गये थे ।

बी.ए- भाग - 3

बी.ए. भाग-3 में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. भाग - 1 व 2 में लिये गये हो एवं महाविद्यालय के विषय के समूह के अंतर्गत हो ।

स्नातकोत्तर कक्षाएँ - (सेमेस्टर पद्धति)

कला संकाय के निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है -

1. अंग्रेजी साहित्य 2. हिन्दी साहित्य 3. राजनीति शास्त्र 4. अर्थशास्त्र
5. समाजशास्त्र 6. इतिहास 7. भूगोल

वाणिज्य संकाय (एम.काम.) में भी स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है।

वाणिज्य संकाय -

बी.काम- भाग - 1 (सेमेस्टर एक एवं दो) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानुसार

बी.काम- भाग - 2

खण्ड 1	1.	हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा		
खण्ड 2	1.	व्यावसायिक सांख्यिकी	2.	उद्यमिता के मूल तत्व
खण्ड 3	1.	प्रबन्ध के सिद्धान्त	2.	कम्पनी अधिनियम
खण्ड 4	1.	वित्तीय लेखांकन	2.	व्यावसायिक गणित

बी.काम- भाग - 3

हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं केन्द्रीय अध्ययन मंडल, छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषय ।

प्रबन्ध विभाग :

बी.बी.ए. (सेमेस्टर एक एवं दो) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानुसार

सभी अनिवार्य विषय

एम.काम. (सेमेस्टर पद्धति)

अनिवार्य विषयों एवं वैकल्पिक विषय के चयन हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित विषय का चयन करना होगा ।

विज्ञान संकाय - (सेमेस्टर एक एवं दो) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानुसार

बी.एस-सी. (कम्प्यूटर विज्ञान) स्ववित्तीय योजना

सेमेस्टर एक एवं दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के प्रावधानुसार

डी.सी.ए. - (सभी अनिवार्य विषय) स्ववित्तीय योजना

बी.एस-सी- (माइक्रोबायोलॉजी) स्ववित्तीय योजना

सेमेस्टर एक एवं दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के प्रावधानुसार

एम.एस-सी- (प्राणीशास्त्र व रसायनशास्त्र) स्ववित्तीय योजना

पी.जी.डी.सी.ए. - सभी अनिवार्य विषय

(5) प्रवेश शुल्क संबंधी विवरण (2023-24)

अशासकीय शुल्क

क्र.	अशासकीय शुल्क	बी.ए./बी.कॉम. बी.बी.ए./बी.एस.सी./ डी.सी.ए. भाग-1	बी.ए./बी.कॉम. बी.बी.ए./बी.एस.सी./ डी.सी.ए. भाग-2	बी.ए./बी.कॉम. बी.बी.ए./बी.एस.सी./ डी.सी.ए. भाग–3	एम.ए./एम. कॉम. पूर्व	एम.ए./एम. कॉम. अंतिम
1.	पत्रिका	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	छात्र संघ प्रवेश शुल्क	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
3.	निर्धन छात्र कल्याण	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
4.	परिचय पत्र	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
5.	सायकल स्टैण्ड	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6.	सम्मिलित निधि	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
7.	स्नेह सम्मेलन	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
8.	चिकित्सा शुल्क	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
9.	कॉमन रुम	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
10.	विकास शुल्क	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
11.	रेडक्रास शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
12.	नेक शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
13.	वाचनालय एवं आनलाईन मेंटनेंश	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14.	योजना शुल्क	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
15.	कॉशन मनी	100.00	-	-	100.00	-
16.	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
17.	विभागीय पुस्तकालय	-	-	-	15.00	15.00
18.	जनभागीदारी शुल्क	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
19.	प्रवेश मार्गदर्शिका	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.	छात्र कल्याण	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
21.	ग्रंथालय	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
22.	शारीरिक कल्याण	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
23.	युवा गतिविधि	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
24.	वि.वि.छात्र संघ यूनियन	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	योग	1565.00	1465.00	1465.00	1580.00	1480.00

शासकीय शुल्क

1.	शिक्षण शुल्क	115.00	115.00	115.00	126.00	126.00
2.	प्रायोगिक शुल्क (बी.एस-सी.) भाग- 1, 2, 3 एवं. एम.ए. भूगोल	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3.	प्रवेश शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00
5.	लेखन सामग्री शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00
6.	पुनः प्रवेश शुल्क (यदि आवश्यक हो)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	योग -	151.00	151.00	151.00	162.00	162.00

स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित स्नातक विषयों के लिये निर्धारित शुल्क :

क्र.	विषय	बी.एस-सी./डी.सी.ए./ बी.बी.ए- भाग-1	बी.एस-सी./डी.सी.ए./ बी.बी.ए- भाग-2	बी.एस-सी./डी.सी.ए./ बी.बी.ए- भाग-3
1.	माइक्रोबॉयोलॉजी	10000.00	10000.00	10000.00
2.	कम्प्यूटर साईस	10000.00	10000.00	10000.00
3.	बी.बी.ए.	12000.00	12000.00	12000.00
4.	डी.सी.ए.	10000.00		

स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित स्नातकोत्तर विषयों के लिये निर्धारित शुल्क :

क्र.	कक्षा / विषय	प्रथम सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर
1.	एम.एस-सी. रसायनशास्त्र	10000.00	10000.00
2.	एम.एस-सी. प्राणीशास्त्र	10000.00	10000.00

नोट - 1. भूगोल विषय हेतु स्नातकोत्तर प्रवेशित छात्र/छात्राओं को 2000.00 रुपये प्रयोगशाला रख-रखाव हेतु अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

2. पी.जी.डी.सी.ए - जनभागीदारी मद में प्रयोगशाला रखरखाव शुल्क - 7000.00

—00—

(6) छात्रवृत्ति संबंधी :

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाएँगे। इन आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा प्रमुख के माध्यम से संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को भेजा जाना चाहिए ।
2. स्नातक छात्रवृत्तियाँ, उच्च शिक्षा के आवंटन के आधार पर महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती हैं ।
3. सभी छात्रवृत्तियों के लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र महाविद्यालय से आयुक्त, उच्च शिक्षा को निर्धारित तिथि पर भेजा जाना चाहिए ।
4. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से ऑनलाईन भरे जाएँगे।
5. शासन द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु जारी तिथि के अनुसार फार्म भरे जाएँगें।
6. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र, आय तथा जाति प्रमाण पत्र की प्रतियां निर्धारित तिथि के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा ।
7. बी.पी.एल. बुक बैंक योजना (नियम 2005)
8. बी.पी.एल. छात्र कल्याण (नियम 2005)

   (उपर्युक्त दोनों योजनाओं 7 एवं 8 का लाभ गरीबी कल्याण रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र/छात्राओं को मिलेगा)

छात्रवृत्ति के संबंध में छात्रों से अपेक्षित कार्यवाही :

1. छात्रों को कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है इस संबंध में विवरणिका से स्वयं जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए अथवा प्रभारी प्राध्यापक से छात्रवृत्ति की जानकारी लेना चाहिए ।
2. आवेदन पत्र निर्धारित समय से एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करना चाहिए । इसी प्रकार नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रगति विवरण सही-सही भरकर अंकसूची के साथ समय-समय पर कार्यालय में जमा करें ताकि कार्यालय उन्हें समय पर संचालनालय भेज सके ।
3. समय-समय पर प्रभारी से छात्रवृत्ति की जानकारी हेतु उनके द्वारा नियत समय पर संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
4. कार्यालय में फार्म जमा करने के पूर्व छात्र-छात्राएँ देखें कि -
   - क. आवेदन पत्र में संपूर्ण कालम सही भरे गये है या नहीं ।
   - ख. सही छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया है या नहीं ।
   - ग. आवेदन के हस्ताक्षर अथवा फार्म जमा करने की तिथि अंतिम है या नहीं ।
   - घ. आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची, आचरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कक्षा में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र, छात्रावासी (यदि हो) होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है या नहीं ।
   - ड. पूर्व में छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो उसका उल्लेख किया या नहीं ।
   - घ. न्यूनतम शर्त की पूर्ति होती है अथवा नहीं, जैसे अर्हकारी परीक्षा छत्तीसगढ़ से उत्तीर्ण की है या नहीं, निर्धारित अंक प्राप्त किये है या नहीं, माता-पिता की आय निर्धारित सीमा में है या नहीं ।

(7) उपस्थिति संबंधी नियम :-

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय/एन.सी.सी./एन.एस.एस. में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है इसके अभाव में वह विश्वविद्यालय परीक्षाओं से वंचित हो सकता है ।

समय-समय पर उपस्थिति के आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा । तत्संबंधी जानकारी उन्हें प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क साधकर प्राप्त करते रहना चाहिए । उपस्थिति में कमी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने के लिये, उत्तरदायी नहीं है । जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 नवम्बर तक 60 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं कियेजाएँगे।

(8) महाविद्यालयीन परीक्षाएँ :-

विद्यार्थियों को कक्षा में ली जाने वाली आंतरिक परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

(9) परिचय पत्र:-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते समय परिचय पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय में प्रवेश करते समय एवं विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रम में भाग लेते समय तथा महाविद्यालय में किये जाने वाले समस्त व्यवहारों के समय प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा । परिचय पत्र के बिना विद्यार्थी को महाविद्यालय का छात्र नहीं माना जायेगा । परिचय पत्र गुम हो जाने पर दूसरा परिचय पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने पर दिया जायेगा । महाविद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को परिचय पत्र अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करना होगा ।

(10) एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) :-

महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक पुरूष इकाई व एक महिला इकाई कार्यरत है । इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शहरी बस्तियों और गांवों में समाज सेवा के कार्य करने होते है । 240 घंटे की सेवा करने पर तथा सात दिवसीय शिविर पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय से 'बी' प्रमाण पत्र मिलता है । समाज सेवा के अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत, प्राथमिक उपचार आदि कार्य करने होते है । तीसरे वर्ष प्रोजेक्ट लिखने व नियमित गतिविधि में भाग लेने पर पर 'सी' प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त होता है।

(11) एन.सी.सी. :-

महाविद्यालय में एन.सी.सी. 1956 से संचालित है एवं बिलासपुर शहर की सबसे पुरानी इकाई है । महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए एक, इकाई संचालित है जो कि बटालियन बिलासपुर द्वारा नियंत्रित है।

(12) पुस्तकालय, वाचनालय एवं बुक बैंक :-

यू.जी.सी. एवं शासन की सहायता से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बुक बैंक का गठन किया गया है जिससे विद्यार्थियों को संपूर्ण सत्र के लिए पुस्तकें दी जाती है ।

नोट - ऐसे छात्र जो बुक बैंक पुस्तकें लेने की पात्रता रखते हैं विवरणिका में संलग्न फार्म भरकर पुस्तकालय अधिकारी को दें। पुस्तकालय के उपयोग के लिए परिचय पत्र का लाना आवश्यक है । जुलाई माह में फीस कार्ड और प्रवेश कार्ड भी प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(13) साइकिल स्टैण्ड :-

महाविद्यालय में साइकल स्टैण्ड की व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यार्थी से पूरे सत्र के लिए शुल्क स्टैण्ड के रख रखाव और संचालन हेतु लिया जाता है । सभी साइकिलें स्टैण्ड पर ही रखी जाएगी । कोई भी विद्यार्थी बरामदे या कमरों, पोर्च आदि में साइकल रखने पर दण्ड का भागी होगा । अन्यत्र साईकल रखने पर अगर गुम होती है तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(14) स्वास्थ्य परीक्षण :-

महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा को स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा । यह जाँच किसी चिकित्सक द्वारा नियत तिथि को होगी ।

(15) अनुशासन व्यवस्था एवं प्रॉक्टोरियल बोर्ड :-

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जांच एवं निर्णय के लिए एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड रहेगा ।

(16) रेडक्रॉस सोसायटी :-

महाविद्यालय में एक पुरूष और एक महिला इकाई कार्यरत है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सेवा कार्यकी प्रेरणा दी जाती है और रक्तदान शिविर आयोजित किये जाते है ।

(17) खेल विभाग :- महाविद्यालय में खेल की निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध है -

1. फुटबाल	2. हॉकी	3. बालीबाल	4. बैडमिंटन
5. टेबल टेनिस	6. क्रिकेट	7. कबड्डी	8. शतरंज
9. एथलेटिक्स	10. बेसबाल	11. हैण्डबाल	12. रेसलिंग

(18) सूचना का अधिकार :-

प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु सूचना के अधिकार का प्रावधान है । नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है । समयानुसार विद्यार्थी इसका प्रयोग कर सकते हैं ।

—00—

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण - संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगाएगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में सहभागिता अपेक्षित होगी।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली-गलौज, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
8. विद्यार्थी अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों के संबंध में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचारपत्रों का सहारा नहीं लेगा ।
9. कक्षा में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस- में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा एवं उनको स्वच्छ रखेगा ।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें प्राप्त होगीतथा समय से नहीं लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा ।

4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।

5. व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

परीक्षा सम्बंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।

3. परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जाएगा । जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पॉच साल तक कारावास की सजा या पॉच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।

3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।

4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा ।

5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

—00—

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र-2024-25

1. प्रयुक्ति :

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है ।

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करना :

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लियेजितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण-पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

(स) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किसी भी संशोधन/परिवर्धन के निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ/7-83/2018/38-2 नवा रायपुर 26.06.2024 के संशोधित अकादमिक कलेण्डर 2024-25 के अनुसार स्नातक प्रथम सेमेस्टर हेतु जारी ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना : (स्नातक प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर)

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगें । (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगें । कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अत अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयो योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) के अंतर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश दें।

4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्कालबाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/-अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा । स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे मेंबंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छुट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाये ।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक सांठनों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितों को ही शसकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त वेर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो./गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्षमें नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

क. बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ एम.एस.-सी (गृहविज्ञान)/एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.-सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व - भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में सकाय की स्थिति में सबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान /अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश कीपात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

क. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत होगी तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी. हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगें ।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एसई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षायें में मा.शि.मं. की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं सेडिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा ।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार -

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना(एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है । जैसा एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से संबंध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे है । ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगें । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास कियेजा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों के क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी./बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु

सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों/ स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् है उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा मेंस्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नही होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताऐं :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि.शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं को उसी संकायकी उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षो में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो /या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/ चेतावनी देने केबाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा :-

(क) छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है ।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय मेंनियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायो के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी ।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रोको प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाये।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों केलिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति / अन्य पीछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा। आरक्षित सीटे पात्र विद्यार्थियों के अनुपलब्धता के कारण अंतिमतिथियों पर रिक्त रह जाती है तो इस विपरित क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क., ख. तथा ग. के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा ।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क, ख, तथा ग के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र-पौत्रियों और नाती/नातीन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें । निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें ।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिषत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छुट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointements." का कड़ाई से पालन किया जाए ।

टीप :- अवर सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 13-1/2023/आ.प्रा./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए-सर्टिफिकेट	- 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट	- 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	- 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	- 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	- 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	- 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट	- 10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	- 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट/ एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को - 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर - 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को - 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को - 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग.शासन/म.प्र.से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में-

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को - 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/ स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेशदिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि-

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तरद्वितीय वर्ष में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगामहाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी-एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतनआहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुये लागू होगा।

16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन /निरसन/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिये विशेष परिनियम :

1. यह विशेष विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा है ।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगे । परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा ।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा :

   अ. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना ।

   ब. मानसिक आघात जैसे मानसिक कलेश पहुंचाना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना ।

   स. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना ।

   द. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना-चिल्लाना आदि।
4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा । ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्राक्टोरियल बोर्ड को सौंपेंगे । इसमें चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगें। इस हेतु प्राक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहूत की जायेगी । बैठक की सूचना, सूचना बोर्ड में मनोनीत वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी । यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगें ।
5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को सौपेंगे, जिसके आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा सके।
6. प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगें । दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा ।
   1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन ।
   2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या/एवं विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक ।
   3. दोषी छात्र को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा । यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा ।
   4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगें और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा ।
   5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा ।
   6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस की सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा ।

      इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आवश्यक होगा ।

महाविद्यालय द्वारा लागू किये गये विशिष्ट कार्यक्रम

स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम :

महाविद्यालय ने भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की सदस्यता ग्रहण की है । 11 अलग-अलग विभागों में प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ स्थापित की गई है । नेत्र परीक्षण, रक्त समूह की जाँच, हीमोग्लोबिन के लिये रक्त परीक्षण, दंत चिकित्सा, सामान्य स्वास्थ्य और स्त्री रोग से संबंधित शिविर प्रतिवर्ष आयोजित किये जाते हैं । कैंसर एवं एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये जाते है।

व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्थानन प्रकोष्ठ :

छात्र/छात्राओं को रोजगार की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी देना, व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार की ओर उन्मुख करना इस प्रकोष्ठ के मुख्य उद्देश्य है । इस प्रकोष्ठ द्वारा छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं। वाचनालय कक्ष में विशेष सूचना पटल में रोजगार संबंधी, उन्नत पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी सूचनाएं लगाई जाती है । कैम्पस सेलेक्शन (परिसर चयन) के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को अनेक अच्छे अवसर प्राप्त हुए है ।

शिक्षक-अभिभावक योजना :

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को समूह में विभाजित किया गया है । प्रत्येक शिक्षक निर्धारित छात्र/ छात्राओं के समूह का शिक्षक अभिभावक होता है । ये शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक एवं पथ-प्रदर्शक की भूमिका संपादित करने का प्रयास करते है । योजना ने शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच बेहतर संबंधों को विकसित करने के अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की है इससे छात्र-'छात्राओं के लिये सुरक्षित सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित हुआ है । यह योजना विद्यार्थियों से सम्प्रेषण एवं उनको जानकारी प्राप्त करने के लिये उपयुक्त मंच है ।

अभिव्यक्ति अधिकार तथा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :

छात्र/छात्राओं हेतु अपनी समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों को निर्भीक रूप से प्रस्तुत करने के लिये शिकायत पेटी की व्यवस्था है । विद्यार्थी समस्या-निवारण प्रकोष्ठ समिति प्राप्त इन शिकायतों का यथासंभव निवारण करती है ।

जेण्डर प्रकोष्ठ :

नवप्रवर्तन के तौर पर जेण्डर प्रकोष्ठ की स्थापना के निम्नांकित उद्देश्य है -

1. विद्यार्थियों को महिला अस्मिता के प्रति संवेदनशील बनाना ।
2. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाविद्यालय में एवं महाविद्यालय से बाहर गतिविधियां आयोजित करना ।
3. छात्राओं में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें नकारात्मक सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए साहस प्रदान करना ।
4. संबंधित समाचार पत्रों, पुस्तकों, एवं जर्नल्स और दृश्य-श्रव्य सामग्री से परिपूर्ण एवं प्रलेखन केन्द्र की स्थापना करना ।
5. महिलाओं से संबंधित विषयों पर शोध हेतु प्रेरित करना एवं महत्वपूर्ण महिला शोधकर्ताओं की एक निर्देशिका तैयार करना ।
6. छात्राओं को प्रेरित करने एवं उनसे बातचीत करने के लिए महत्वपूर्ण महिला व्यक्तित्व को आमंत्रित करना।